राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (एस–188) अलेसे–I/440 **दिनांकः– 29.06.2021**

कार्यालय आदेश

पूर्व विभागीय आदेश संख्या 125/2015–16 दिनांक 06.11.2015 (क्रम संख्या 137) के द्वारा श्री सुभाष चन्द तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, लेकिन तत्समय श्री तंवर के विरूद्ध कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2008 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित होने के कारण "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

उक्त प्रकरण में कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 25.03.2021 द्वारा श्री तंवर को देय पेंशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग 02 (दो) वर्ष के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के विरूद्ध आज ~~तक~~ :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियॉ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (एस–188) अलेसे–I/440 **दिनांकः– 29.06.2021**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुभाष चन्द तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (सेवानिवृत्त) की पेंशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग 02 (दो) वर्ष के लिए रोका जाना सुनिश्चित करावे।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुभाष चन्द तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (सेवानिवृत्त) की पेंशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग 02 (दो) वर्ष के लिए रोका जाना सुनिश्चित करावे।
3. कोषाधिकारी, बीकानेर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)।
5. श्री सुभाष चन्द तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (सेवानिवृत्त), ई 126, कान्ता खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर, 334003
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)